# मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP)

**संदर्भ :** मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP) ने कैंसर की दवा निलोटिनिब के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन करने के लिए भारतीय कंपनियों यूजिया, हेटेरो और डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ-साथ इंडोनेशियाई कम्पनी ब्राइटजीन के साथ उप-अनुज्ञप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- निलोटिनिब का नोवार्टिस द्वारा विश्व स्तर पर टैसिग्ना के रूप में विपणन किया जाता है और इसका उपयोग "क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया" के इलाज के लिए किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र समर्थित संगठन MPP का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच बढ़ाना है।
- ये उपअनुज्ञप्ति समझौते कैंसर उपचार दवा के लिए अपनी तरह के पहले हैं और MPP और नोवार्टिस फार्मा एजी के बीच अनुज्ञप्ति समझौते का परिणाम हैं।
- चयनित निर्माता भारत और सात मध्यम आय वाले देशों में निलोटिनिब के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन कर सकते हैं।
- विनियामक प्राधिकरण के लंबित रहने तक गैर-विशिष्ट समझौते के माध्यम से अनुज्ञप्ति द्वारा कवर किए गए 44 क्षेत्रों में भी दवा की आपूर्ति की जा सकती है।
- इस कदम का उद्देश्य उन देशों में क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया वाले व्यक्तियों के लिए एक किफायती उपचार विकल्प प्रदान करना है।
- MPP के कार्यकारी निदेशक, चार्ल्स गोर, ने जेनेरिक निलोटिनिब विकसित करने के लिए जेनेरिक निर्माताओं के साथ सहयोग पर प्रकाश डाला है।
- मेडिसिन पेटेंट पूल के समझौते निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रोगियों के लिए निलोटिनिब की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाएंगे।

## मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP) क्या है?

- मेडिसिन्स पेटेंट पूल (MPP) की स्थापना 2010 में UNITAID द्वारा WHO के सहयोग से की गई थी।
- MPP का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लोगों के लिए सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच बढ़ाना है।
- MPP एकस्व दवाओं के जेनेरिक संस्करणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दवा कंपनियों के साथ अनुज्ञप्ति की बात करता है।
- यह संसाधन-सीमित ढांचे में एचआईवी/एड्स, तपेदिक, हेपेटाइटिस-सी और अन्य प्रचलित बीमारियों के लिए उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं पर केंद्रित है।
- MPP जेनेरिक निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ सहयोग करता है।
- MPP कई रणनीतियों के माध्यम से दवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - **स्वैच्छिक लाइसेंसिंग:** एकस्व दवाओं के जेनेरिक संस्करणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एकस्व धारकों के साथ अनुज्ञप्ति पर बातचीत करना।
  - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जेनेरिक निर्माताओं को विनिर्माण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, जिससे स्थानीय उत्पादन संभव हो सके।
  - **पेटेंट पूलिंग:** अनुज्ञप्ति को सरल बनाने और व्यापक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किसी विशिष्ट दवा के लिए एकस्व को समेकित करना।
  - **सहयोगात्मक अनुसंधान:** बेहतर सूत्रीकरण और नए उपचार विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों का समर्थन करना।
  - **बाज़ार में हस्तक्षेप:** दवाओं की लागत कम करने के लिए मूल्य निर्धारण वार्ता और रणनीतियों में संलग्न होना।
- यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों और दवा उद्योग के साथ मिलकर काम करता है।
- MPP के प्रयासों का उद्देश्य आवश्यक दवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में योगदान देना है।

## पेटेंट पूल क्या है?

- पेटेंट पूल किसी विशेष तकनीक या उद्योग से संबंधित अपने पेटेंट को सामूहिक रूप से अनुज्ञप्ति देने और साझा करने के लिए कई कंपनियों या संस्थाओं के बीच एक सहयोगात्मक समझौता है।
- पेटेंट पूल का मुख्य उद्देश्य अनुज्ञप्ति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लागत कम करना और प्रौद्योगिकियों की व्यापक श्रेणी तक पहुंच प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देना है।
- पेटेंट पूल आम तौर पर तब बनते हैं जब कई कंपनियां ऐसे एकस्व रखती हैं जो किसी विशिष्ट मानक या प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए आवश्यक होते हैं।
- पेटेंट पूल के उदाहरणों में शामिल हैं:
  - एमपीईजी एलए: एमपीईजी एलए एक प्रमुख पेटेंट पूल है जो एमपीईजी-2, एमपीईजी-4 एवीसी (एच.264), और एमपीईजी-2 सिस्टम जैसे ऑडियो और वीडियो संक्षेपण मानकों से संबंधित आवश्यक एकस्व को अनुज्ञप्ति देता है।
  - ब्लूटूथ: ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप (BSIG) ब्लूटूथ वायरलेस तकनीक के लिए एकस्व पूल का प्रबंधन करता है। यह सदस्य कंपनियों को ब्लूटूथ तकनीक से संबंधित आवश्यक एकस्व का प्रयोग की अनुमति देता है।

- वाई-फाई: वाई-फाई गठबंधन एक एकस्व पूल का प्रबंधन करता है जिसे वाई-फाई एकस्व अनुज्ञप्ति प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। यह कंपनियों को वाई-फाई तकनीक से संबंधित आवश्यक एकस्व तक पहुंच प्रदान करता है।

- पेटेंट पूल पेटेंट अनुज्ञप्ति के लिए महंगी और समय लेने वाली व्यक्तिगत बातचीत से बचने, अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देने और एकीकृत लाइसेंसिंग मंच प्रदान करके प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करते हैं।
- हालाँकि, प्रतिस्पर्धा कानून के विचार और संभावित अविश्वास मुद्दे पेटेंट पूल के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर जब महत्वपूर्ण संख्या में आवश्यक पेटेंट पूल के भीतर केंद्रित होते हैं या जब उद्योग में प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। प्रतिस्पर्धा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रशासन और निष्पक्ष लाइसेंसिंग शर्तें महत्वपूर्ण हैं।

**यूनिटएड (UNITAID)**

- UNITAID एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया के उपचार और रोकथाम में सुधार लाने पर केंद्रित है।
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तहत संचालित होता है और इसे 2006 में स्थापित किया गया था।
- UNITAID अपनी पहलों को निधि देने के लिए नवीन वित्तपोषण तंत्रों का उपयोग करता है, जिसमें हवाई टिकट एकजुटता कर और स्वैच्छिक योगदान शामिल हैं।
- संगठन बाधाओं को दूर करने, मूल्य में कटौती को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों में नवाचार का समर्थन करने के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेपों को नियोजित करता है।
- यह स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और प्रभावित आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के साथ सहयोग करता है।
- UNITAID के कार्यक्षेत्र में एचआईवी/एड्स उपचार तक पहुंच का विस्तार, टीबी और मलेरिया हस्तक्षेप का समर्थन करना और किफायती निदान के विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
- संगठन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और जीवन रक्षक दवाओं और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा त्वरण इकोसिस्टम (INDUS-X)

**संदर्भ:** रक्षा क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी स्टार्टअप द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत-संयुक्त राज्य रक्षा त्वरण इकोसिस्टम (INDUS-X) लॉन्च किया गया है।

- इसका उद्देश्य उद्योगों, शिक्षा जगत और निवेशकों के बीच भविष्य में सहयोग के लिए तंत्र विकसित करना है।
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए "मेक इन इंडिया" पहल और "मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड" के दर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है।
- दो दिवसीय कार्यक्रम इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX), रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग (DoD) द्वारा सह-आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) ने की थी।
- भारतीय और अमेरिकी स्टार्टअप ने समुद्री, AI, स्वायत्त प्रणाली और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।
- रक्षा नवाचार, अनुसंधान और विकास में सहयोग को गहरा करने और संयुक्त अवसरों का पता लगाने के लिए चर्चाएँ और गोलमेज बैठकें आयोजित की गईं।
- INDUS-X का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, रक्षा प्रतिष्ठान संबंधों को मजबूत करना और अमेरिकी और भारतीय रक्षा स्टार्टअप के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
- इसमें 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने और इसकी रक्षा आपूर्ति में विविधता लाने की क्षमता है।
- कार्यक्रम में INDUS-X तथ्य पत्रक जारी किया गया और निर्यात नियंत्रण नियमों पर चर्चा की गई।
- INDUS-X रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए यूएस-भारत रोडमैप और" महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर यूएस-भारत पहल (iCET)" के साथ संरेखित है।
- इसी दौरान जी.ई. एयरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन के निर्माण के लिए एच.ए.एल. (HAL) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**भारत और अमेरिका के बीच चार मूलभूत रक्षा समझौते**

**बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA):**

- इसे 2020 में हस्ताक्षरित किया गया था।
- भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया जानकारी तक वास्तविक समय पर पहुंच प्रदान करता है।
- स्वचालित प्रणालियों और मिसाइलों और सशस्त्र ड्रोन जैसे हथियारों की सटीकता को बढ़ाता है।
- मानचित्रों और उपग्रह चित्रों पर जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।
- नेविगेशन और लक्ष्यीकरण के लिए स्थलाकृतिक और वैमानिकी डेटा तक पहुंचने में मदद करता है।
- भारत और अमेरिका के बीच वायु सेना से वायु सेना के बीच सहयोग को सुगम बनाता है।

- प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया का समर्थन करता है।

**संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (COMCASA):**

- इसे 2018 में हस्ताक्षरित किया गया था।
- अमेरिका द्वारा भारत को कूटित संचार उपकरण और तंत्र प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- भारतीय और अमेरिकी सैन्य कमांडरों के बीच सुरक्षित संचार की अनुमति देता है।
- दोनों देशों के विमानों और जहाजों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है।
- शांति और युद्ध के समय संचार का समर्थन करता है।
- भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को बढ़ाता है।
- यूएस-मूल प्रणालियों का उपयोग करके अन्य सेनाओं के साथ सुरक्षित डेटा लिंक को बढ़ावा देता है।

**रसद विनिमय समझौता ज्ञापन (LEMOA):**

- इसे 2016 में हस्ताक्षरित किया गया था।
- अमेरिका और भारत को एक-दूसरे के ठिकानों और सुविधाओं से आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स और सेवाओं की भरपाई करने और उन तक पहुंचने की अनुमति देता है।
- नौसेना सहयोग का समर्थन करता है।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में रसद समर्थन और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- दोनों सेनाओं के बीच आपसी विश्वास कायम होता है।
- रसद समर्थन की प्रक्रिया को संस्थागत और सुचारू बनाता है।

**सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (GSOMIA):**

- इसे 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था।
- साझा जानकारी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करता है।
- इसमें पेंटागन द्वारा भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ साझा की गई जानकारी शामिल है।
- इसमें अमेरिकी रक्षा कंपनियों द्वारा भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSU) के साथ साझा की गई जानकारी शामिल है।
- इसमें भारतीय निजी कंपनियों के साथ वर्गीकृत जानकारी का आदान-प्रदान शामिल नहीं है।
- दोनों देशों के बीच सूचना साझाकरण और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है।

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### पीएम मोबाइल ऐप

**संदर्भ:** हाल

**संदर्भ:** हाल ही में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम-किसान मोबाइल ऐप में चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा (face authentication feature) पेश किया है, जो इस सुविधा को लागू करने वाली पहली केंद्रीय कल्याण योजना बन गई है।

**चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा का उद्देश्य:**

- पीएम-किसान मोबाइल ऐप में चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा ई-केवाईसी (Electronic-Know Your Customer) प्रक्रिया के दौरान वन-टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
- यह सुविधा आधार रिकॉर्ड से आईरिस डेटा का उपयोग करती है और इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के माध्यम से सुलभ बनाया गया है।

**पीएम किसान मोबाइल ऐप क्या है?**

- यह भारत सरकार द्वारा पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लिकेशन है।
- ऐप किसानों को खुद को पंजीकृत करने, उनकी पात्रता की जांच करने और उनके आवेदन और भुगतान की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

**पीएम-किसान सम्मान निधि क्या है?**

- पीएम-किसान सम्मान निधि, जिसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2019 में शुरू की गई थी।
- यह पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) योजनाओं में से एक है।
- इस योजना ने अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए हैं।

## घटिया खांसी की दवाएँ

**संदर्भ:** हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) के अनुसार, भारत में बने घटिया कफ सिरप के कारण अगस्त **2022** से तीन देशों (उज्बेकिस्तान, गाम्बिया और नाइजीरिया) में **300** बच्चों की मौत हो गई है।

**चेतावनी सिरप:**

- **WHO** ने भारत में उत्पादित सात कफ सिरप के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें उनकी घटिया गुणवत्ता को उजागर किया गया।
- भारत के औषधि महानियंत्रक ने निर्यात से पहले कफ सिरप का परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया है।

**सामग्री संबंधी मुद्दे:**

- हाल की घटनाएं डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल के उच्च स्तर से जुड़ी हैं, जो किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं।
- रासायनिक घटकों का अवैज्ञानिक संयोजन भी हानिकारक हो सकता है।

**सरकारी पहल:**

- चिकित्सीय प्रासंगिकता की कमी और जोखिम उत्पन्न करने वाले **14** निश्चित-दवा संयोजनों पर प्रतिबंध।
- ओवर-द-काउंटर कफ सिरप की बिक्री पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

**लक्षण बनाम बीमारी:**

खांसी एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं। केवल कफ सिरप पर निर्भर रहने के बजाय खांसी के अंतर्निहित कारण की पहचान करना और उसका इलाज करना महत्वपूर्ण है।

**कोडीन से बचाव:**

कोडीन युक्त कफ सिरप बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि यह नशीला होता है और घातक हो सकता है।

**लक्षण:**

उनींदापन, चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, मतली या बोलने में परेशानी आदि।

## राष्ट्रीय फ़्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

**संदर्भ:** हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए।

**राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार क्या है?**

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देश में नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है।

इस अवसर पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री टीबी मुक्त अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इसमें शामिल है: 1. नी-अक्षय मित्र और 2. सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान

**प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान:**

प्रधान मंत्री टीबी मुक्त अभियान, जिसे प्रधान मंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के रूप में भी जाना जाता है, देश से तपेदिक (टीबी) को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह अभियान आधिकारिक तौर पर 13 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

**लक्ष्य:**

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत प्राप्त करना है।

**नी-अक्षय मित्र:**

नि-क्षय मित्र भारत में तपेदिक (TB) के इलाज से गुजर रहे व्यक्तियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में शुरू की गई एक पहल है। यह पहल निर्वाचित प्रतिनिधियों, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को दाता बनने और टीबी रोगियों की भलाई और पुनर्प्राप्ति में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

**सिकल सेल एनीमिया के ख़िलाफ़ अभियान:**

मिशन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, सार्वभौमिक स्क्रीनिंग करना और परामर्श प्रदान करना है। यह अभियान प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक की आयु के सात करोड़ लोगों को लक्षित करेगा। विशेष मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी और 2047 तक अपना लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।

## लम्बानी कढ़ाई

**संदर्भ:** लंबानी कढ़ाई के सदियों पुराने शिल्प ने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि डिजाइनर और गैर सरकारी संगठन इस पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं।

**लम्बानी कढ़ाई:**

लम्बानी कढ़ाई अपनी विशिष्ट विशेषताओं से प्रतिष्ठित है। यह विभिन्न तकनीकों जैसे पैटर्न डार्निंग, मिरर वर्क, क्रॉस स्टिच, ओवरलेइंग, क्विल्टिंग, पैचवर्क और ढीले बुने हुए कपड़े पर एप्लिक को जोड़ती है। जटिल डिज़ाइन बनाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों, विभिन्न टांके और मोतियों, सीपियों और सिक्कों जैसे अलंकरणों का उपयोग किया जाता है।

**लम्बानिस की उत्पत्ति:**

लम्बानी समुदाय की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि वे यूरोप के रोमनियों के वंशज हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे अफगानिस्तान के घोर प्रांत से चले गए और राजस्थान में बस गए, अंततः पूरे भारत में फैल गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब को देश के दक्षिणी हिस्से में सामान ले जाने में सहायता की थी और तभी उनमें से कुछ वहां बस गए। उन्हें अनुसूचित जाति (एससी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समाज में

**पुनरूद्धार के प्रयास:**

लम्बानी कढ़ाई, एक सदियों पुराना शिल्प, हाल ही में इसे पुनर्जीवित करने के प्रयासों तक गिरावट का सामना कर रहा था। बंजारा कसुती और तेगा कलेक्टिव जैसे डिजाइनरों और गैर सरकारी संगठनों ने इस पारंपरिक कला रूप को संरक्षित और बढ़ावा देने का जिम्मा उठाया है।

**बंजारा कसुति:**

लम्बानी कढ़ाई को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आशा पाटिल और सीमा किशोर ने बंजारा कसुती की स्थापना की।

**सतत अभ्यास:**

बंजारा कसुति और तेगा कलेक्टिव टिकाऊ प्रथाओं को प्राथमिकता देते हैं। वे स्थानीय बुनकरों से हथकरघा सूती कपड़े लेते हैं, पारंपरिक शिल्प कौशल का समर्थन करते हैं, और प्राकृतिक रंगों और हस्तनिर्मित तकनीकों का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।

**सांस्कृतिक महत्व:**

लम्बानी कढ़ाई का गहरा सांस्कृतिक महत्व है और यह लम्बानी समुदाय की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। यह उनकी परंपराओं और शिल्प कौशल की एक मूर्त अभिव्यक्ति है।

**लम्बानी समुदाय के बारे में:**

लम्बानी धागे की कढ़ाई, बटन, सीप, सेक्विन, चांदी के मोतियों और अन्य सजावटी तत्वों से सजाए गए कपड़े पहनते हैं। उनके घरों को कलाकृतियों और विभिन्न कला शैलियों से सजी रंगीन दीवारों के साथ विशिष्ट शैली में सजाया गया है।

**भाषा और संचार:**

लंबानी समुदाय "गोर बोली" बोलता है, जिसे "लंबाडी" भी कहा जाता है।

गोर बोली की अपनी कोई लिपि नहीं है।

यह देवनागरी लिपि का उपयोग करके या तेलुगु या कन्नड़ जैसी स्थानीय भाषाओं में लिखा जाता है।

## समाचारों में स्थान

### चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (पाकिस्तान)

**संदर्भ:** पाकिस्तानी पंजाब के मियांवाली जिले में स्थित चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल ही में इस स्थान पर 1,200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चश्मा-वी स्थापित करने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौते के कारण खबरों में रहा है।

**स्थान:**

चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पाकिस्तान पंजाब के मियांवाली जिले में स्थित है।

**क्षमता:**

पावर प्लांट में बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करने की क्षमता है। यह 1,200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है।

**सहयोग:**

चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग का परिणाम है। चीन ने संयंत्र की स्थापना और विस्तार में पाकिस्तान की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

**परिचालन:**

चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2000 से परिचालित है। यह पाकिस्तान के ऊर्जा उत्पादन में योगदान दे रहा है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर उसकी निर्भरता को कम कर रहा है।

**अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी:**

चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी और सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आता है। यह सुनिश्चित करता है कि संयंत्र सुरक्षा और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता है।